क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, अजमेर

फा.स.9–बी–65 / प्रो.बो. / 2020–2021 दिनांक 23.07.2021

छात्रावासों के नियम

दिनांक 22.07.2021 को प्रोक्टोरियल बोर्ड के अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में प्रोक्टोरियल बोर्ड समिति की बैठक में छात्रावास के नियमों में आवश्यक संशोधन कर आज दिनांक 23.07.2021 से निम्नानुसार नियम लागू किये जाते हैं:–

1. भारत सरकार की गाईडलाईन एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार "रैगिंग" पूरे कैम्पस एवं हॉस्टल में प्रतिबंधित है। अगर किसी भी छात्र–छात्रा को इसमें लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिसमें छात्रावास और संस्थान से निष्कासन भी संभव है।
2. छात्रावास में रहने वाले छात्र–छात्राएँ यह सुनिश्चित करें कि :–

निम्नलिखित कार्य छात्रावास अनुशासनहीनता की श्रेणी में माने जाएँगे–

2.1 हॉस्टल में किसी भी तरह की अशांति करना।
2.2 हॉस्टल फर्नीचर, दीवार, दरवाजे इत्यादि को किसी भी तरह की क्षति पहुँचाना।
2.3 वार्डन की अनुमति के बिना कोई भी मीटिंग करना।
2.4 किसी हॉस्टल स्टाफ या साथ रहने वालों के खिलाफ किसी तरह की कार्यवाही करना।
2.5 हॉस्टल में बाहरी व्यक्तियों / निष्कासित छात्र / पूर्व छात्र को आमंत्रित करना।
2.6 किसी भी तरह की अश्लील सामग्री पास में रखना।
2.7 अपने पास हॉस्टल में कोई केमिकल, विस्फोटक सामग्री, जानलेवा हथियार, विषैला पदार्थ या मादक द्रव्य रखना।
2.8 बिजली व्यवस्था व तारों से हॉस्टल व अपने कमरों में किसी तरीके की छेड़छाड़ करना।
2.9 किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना हॉस्टल से अनुपस्थित रहना।
2.10 समाचार पत्रों के पन्नों को फाड़ना।
2.11 छात्रावास परिसर में खेल मैदान के अतिरिक्त स्थानों पर खेलना।
2.12 छात्रावास की छतों पर कपड़े धोना और स्नान करना।
2.13 छात्रावास की छतों पर रखी टंकियों से छेड़छाड़ करना।
2.14 बाथरूम में अनावश्यक पानी बहाना।
2.15 छात्रावास के पेड़– पौधों व फूलों को तोड़ना।
2.16 मैस में लगे मैनू एवं संस्थान के नोटिस एवं अन्य सूचनाओं को फाड़ना।
2.17 छात्रावास में अशोभनीय व्यवहार करना।
2.18 कोई भी अन्य कार्य जो दुराचार के अधीन आए।

3. किसी भी छात्र–छात्राओं द्वारा कमरों में खाना पकाना या मेस से खाना कमरों में ले जाना मना है परन्तु यदि कोई छात्र / छात्रा बीमार है तो डॉक्टर पर्ची दिखाकर मेस से खाना कमरे में लेकर जा सकता / सकती है।
4. यदि कोई छात्र / छात्रा छात्रावास सम्पति को क्षति पहुँचाता है तो CPWD की निर्धारित दरों के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिये संबंधित छात्र–छात्रा से संस्थान क्षतिपूर्ति करेगा। सम्पति की क्षति की गंभीरता के आधार पर छात्रावास / संस्थान से निष्कासित भी किया जा सकता है।
5. छात्र / छात्राओं से संस्थान व छात्रावास परिसर में यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपना रहन–सहन, आचरण और व्यवहार में अनुशासन एवं सौम्यता के साथ रहें जिससे संस्थान व छात्रावास मे अनुशासन बना रहे।
6. यदि कोई विद्यार्थी संस्थान प्रशासन के किसी भी अधिकारी / कर्मचारी को अपनी माँग अथवा समस्या के लिये दवाब में लाने की कोशिश करता है तो ऐसे छात्र / छात्राओं के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी साथ ही गंभीरता के आधार पर उसे छात्रावास से निष्कासित भी किया जा सकता है।
7. यदि कोई छात्र / छात्रा संस्थान / छात्रावास के नियमों की अवमानना करता है और संस्थान तथा संस्थान परिसर के बाहर यदि उनके साथ कोई दुर्घटना / इन्सीडेंट होता है तो संबंधित छात्र / छात्रा स्वयं ही जिम्मेदार होगा।
8. सभी छात्र / छात्राएँ नियमित रूप से अपना मेडिकल चेकअप करवाते रहेंगे।

9. छात्रावास की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिये छात्रों की सहमति से चुने गये छात्र जैसे मेस परफेक्ट, विंग प्रीफेक्ट, कल्चरल सचिव, हैल्थ सचिव, छात्रावास प्रीफेक्ट आदि को सहयोग करेंगे।

10. कोई भी छात्र किसी दूसरे छात्र के साथ या मेस में कार्यरत स्टाफ या हॉस्टल कर्मचारी के साथ किसी भी तरह का अशोभनीय व्यवहार न करें। इस तरीके के सभी मामले सक्षम अधिकारी या वार्डन के नोटिस में लाएँ।

11. विद्युत से चलने वाले यंत्र जैसे हीटर, टेबल फैन, स्टोव, कूलर इत्यादि का उपयोग प्रतिबंधित है। रेडियो या टेप कम आवाज में सुने जा सकते हैं। परन्तु study hours (पढ़ाई के दौरान) इनका उपयोग न करें। woofer (वूफर) और बड़े स्पीकर प्रतिबंधित हैं।

12. छात्र अपने कमरों में पंखे और लाईट का उचित प्रयोग करें। जब इनका उपयोग न हो तो बंद कर दें। छात्र अपने कमरें में स्थित लाइट, पंखे, स्विच, बल्ब, होल्डर, रेगुलेटर इत्यादि के जिम्मेदार हैं। इन वस्तुओं से छेड़छाड़ या क्षति की स्थिति में जुर्माना देना पड़ेगा। रूपये 500/– (न्यूनतम) या वस्तु के दाम जो भी मार्केट में रेट सही हो जुर्माना देना होगा।

13. छुट्टियों के समय कोई भी छात्र/छात्रा छात्रावास में नहीं रह सकता/सकती।

14. हॉस्टल की साफ–सफाई और स्वच्छता में सभी छात्र सहयोग करेंगे। हर छात्र अपने कमरे की साफ–सफाई का स्वयं ध्यान रखेंगे।

15. हॉस्टल वार्डन की अनुमति से जन्मदिन इत्यादि लिविंग रूम में मनाए जा सकते हैं परन्तु इस दौरान किसी प्रकार की अशांति, झगड़ा इत्यादि होता है तो जन्मदिन के लिये कार्यक्रम करने वाला छात्र/छात्रा जिम्मेदार होगा व उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। रात्रि 10:00 बजे के बाद कोई भी आयोजन नहीं होगा।

16. छात्रावास में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करने से पूर्व लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य है। साथ ही वह अनुशासन में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। इन कार्यक्रमों के शांतिपूर्ण व अनुशासितरूप में करने की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आयोजन समिति की होगी।

17. किसी भी प्रकार की शिकायत हॉस्टल प्रीफेक्ट या छात्र/छात्रा प्रतिनिधि के माध्यम से अपने हॉस्टल के असिस्टेंट वार्डन या वार्डन के पास पहुँचाए। इसके बाद ही उक्त शिकायत डिप्टी चीफ वार्डन या चीफ वार्डन के पास प्रस्तुत हो। इस सम्बंध में अनावश्यक रूप से प्रशासन से सीधे संवाद न करें।

18. छुट्टी पर जाने से पूर्व सभी छात्र/छात्राएँ अपनी छुट्टी सक्षम अधिकारी से अनुमोदित कराने के बाद ही जाएँ। छुट्टी का निर्धारित प्रपत्र भर कर वार्डन से अनुमोदन कराएँ। बिना पूर्व आज्ञा हॉस्टल से अनुपस्थिति अनधिकृत मानी जाएगी।

19. चिल्लाना, शोर मचाना या तेज आवाज में गाना गाने या तेज ध्वनि में साउण्ड सिस्टम चलाना यह सब प्रतिबंधित है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।

20. यदि छात्र/छात्राओं को आवश्यक कार्य के लिए संस्थान के बाहर जाना पड़ता है तो जाते समय व लौटते समय हॉस्टल व संस्थान के मुख्य द्वार पर रखे रजिस्टर में प्रविष्टि कर के जाएँगे।

21. **छात्रावासों का समय (सभी छात्र/छात्राओं के लिए)**

अवधि	संस्थान परिसर से बाहर **Outing** का समय **for all season**	संस्थान परिसर के अन्दर **Outing** का समय	सभी छात्रावासों के मुख्य गेट बंद होने का समय *
On Working day	सुबह 06:00 बजे से सुबह 09:00 बजे तक सांय 05:30 बजे से सांय 08:00 बजे तक	सुबह 06:00 बजे से सुबह 09:00 बजे तक सांय 05:30 बजे से सांय 09:00 बजे तक	**रात्रि 9:00 बजे**
On Holidays Gazetted Holidays	सुबह 09:00 बजे सांय 08:00 बजे तक (Any 7 hours)	सुबह 09:00 बजे सांय 09:00 बजे तक	**रात्रि 9:00 बजे**

*** 1. आपातकालीन स्थिति में असिस्टेंट वार्डन/वार्डन/सुरक्षा पर्यवेक्षक के अनुमति से खोले जा सकते हैं।**

(वार्डन या डिप्टी चीफ वार्डन कभी भी छात्र–छात्राओं की उपस्थिति जाँच सकते हैं।)

22. उपर्युक्त समय सारणी के अतिरिक्त यदि कोई छात्र/छात्रा आपातकालीन स्थिति में अवकाश पर जाना चाहते हैं तो अपने छात्रावास के असिस्टेंट वार्डन/वार्डन से लिखित अनुमति लेकर जा सकते हैं।

23. सभी गर्ल्स हॉस्टल्स तथा बोइज हॉस्टल्स में उपस्थिति प्रतिदिन 9:15 PM पर संबंधित विंग प्रीफेक्ट द्वारा असिस्टेंट वार्डन की निगरानी में ली जायेगी।

24. कोई भी छात्र/छात्रा जो छात्रावास में रहते हैं वे बिना अनुमति के छात्रावास परिसर में वाहन नहीं रखेंगे और ना ही कोई बाहरी वाहन लेकर संस्थान में आयेंगे। यदि बिना अनुमति के वाहन रखते हैं/लेकर आते हैं तो उस छात्र/छात्रा को अवमानना का दोषी मानते हुए उचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

25. कक्षाओं के समय किसी भी छात्र को हॉस्टल में रहने की अनुमति नहीं है। अगर छात्र बीमार है तो सक्षम अधिकारी की अनुमति से वह हॉस्टल में रह सकता है।

26. संस्थान के कार्य दिवस के समय (प्रातः 9:00 बजे से सांय 5:30 बजे तक) कोई भी छात्र/छात्रा कैम्पस से बाहर नहीं जा सकेंगे। यदि आकस्मिक कारण से बाहर जाना है तो सम्बंधित विभागाध्यक्ष से लिखित अनुमति लेकर जा सकेंगे।

27. हॉस्टल में एडमिशन प्रोविजनल आधार पर है। यह सुविधा किसी भी तरह की शिकायत या नियम के उल्लंघन की दशा में निरस्त की जा सकती है।

28. म.द.स. विश्वविद्यालय परीक्षाओं में यदि कोई छात्र फेल हो जाता है तो उसका एडमिशन संस्थान एवं हॉस्टल से उसी क्षण रद्द हो जाता है। अगर छात्र री–इवेलुएशन के लिए भी विश्वविद्यालय में आवेदन करे तब भी वह हॉस्टल सुविधा से वंचित रहेगा, जब तक वह विश्वविद्यालय द्वारा उत्तीर्ण घोषित नहीं होता।

29. छात्र/छात्राओं के माता–पिता गेस्ट हाउस में कमरे की उपलब्धता के आधार पर ठहर सकते हैं। यह सुविधा सिर्फ छात्र/छात्रा के संस्थान में नये प्रवेश के समय पर, किसी छात्र/छात्रा के बीमार होने पर या सत्र समाप्ति पर दी जा सकती है जो कि कमरे की उपलब्धता पर सक्षम अधिकारी की अनुमति से गेस्ट हाउस के नियमानुसार दी जा सकेगी।

30. रात को 09:00 बजे बाद यदि कोई छात्र/छात्रा संस्थान परिसर में अनावश्यक रूप से घूमता/घूमती हुई पाया जाता है/पाई जाती है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्क कार्यवाही की जायेगी।

यह सक्षम अधिकारी की अनुमति से जारी किया जाता है।

अधिष्ठाता

प्रतिलिपिः

1 अधिष्ठाता
2 अध्यक्ष, डी.ई./डी.ई.ई./डी.ई.एस.एम./डी.ई.एस.एस.एच.
3 चीफ वार्डन
4 डिप्टी चीफ वार्डन
5 वार्डन, राणाप्रताप/शिवाजी/लक्ष्मीबाई/तिलक/रणजीत छात्रावास
6 असिस्टेंट वार्डन, राणाप्रताप/शिवाजी/लक्ष्मीबाई/तिलक/रणजीत छात्रावास
7 छात्र सलाहकार
8 संयुक्त छात्र सलाहकार
9 एन.सी.सी. अधिकारी
10 इंचार्ज शारीरिक शिक्षा
11 अनुभाग अधिकारी (स्थापना/परिसर एवं कल्याण)
12 निजी सहायक (प्राचार्य)
13 सुरक्षा पर्यवेक्षक
14 छात्रावास क्लर्क राणाप्रताप/शिवाजी/लक्ष्मीबाई/तिलक/रणजीत छात्रावास
15 सभी सूचना पट्ट (संस्थान/छात्रावास)

DECLARATION / UNDERTAKING

I, Ms./Mr. .... D/o W/o S/o Shri .... in the light of Supreme Court judgment hereby solemnly declare that:

1. I have never indulged in any incident of ragging nor I will indulge in such kind of act in future. If I am found indulged in such activities of ragging, my admission will be automatically stand cancelled.

2. I have gone through all the rules and regulations of the Institute and I agree to abide by the same. I will adhere to all the rules pertaining to discipline of the hostel and the Institute. In previous classes I was not involved in any act of indicipline. I shall not indulged in any indicipline activities leading to damage of Hostel/Institute furniture, CCTV Camera's etc. I also declare that I shall submit the hostel admission form in the stipulated time. I shall not take any part in the unauthorised occupancy in the hostel room. I also declare that I am not working in any government/semi government/autonomous/private institution.

3. I was never charged of any misbehaviour/crime and neither I have been released on bail in matter of any criminal act and no criminal case in pending against me in any Court of law.

4. No complaint/FIR has been lodged against me by any authority of previous Institution in which I studied.

5. I am well aware of the University rules regarding 80% attendance in each subject, which is compulsary failling which I shall be debarred from taking the examination. If I remain absent without intimation to the Institute continuously for 15 days or more from the Institute for any reason, my name shall be struck of automatically from the students roll.

6. I shall attend classes regularly in the Institute and my admission can be cancelled if I continuously remain absent without the permission of Principal for a period of fifteen days or more. If, due to shortage of attendance, I am detained from appearing in the University Examination the responsibility would be of my own.

7. I hereby undertake that I shall participate in all the celebrations hosted by the Institute positively and abide by all the rules and regulations of the Institute. In case of my unsatisfactory conduct in and or outside the Institute, my admission may be cancelled and I may be expelled from the Hostel and or Institute.

8. I declare that all the enteries in my admission form are true and correct to the best of my knowledge and belief. In case anything is found wrong/incorrect my admission will automatically stand cancelled.

9. In case any relevant information is found to be suppressed by me, my admission can be cancelled at any time.

10. I have read the "Hostel rules" carefully and agreed to abide by them strictly.

11. I shall abide the rules and regulations mentioned in ordinance of Maharshi Dayanand Saraswati Univeristy, Ajmer.

Date ____________

Signature of the student_ ____________

Name ____________

Class ____________

My latest address is:-

____

____

____

____

I agree to abide by the declaration/undertaking given by my ward.

Signature of the parents/Guardian ____________

Name ____________

Relation with the student ____________

Emergency contact number ____________

a

7.1.9.

ANNEXURE I
AFFIDAVIT BY THE STUDENT

I, ______________________________ (full name of student with Institute Roll Number) s/o d/o Mr./Mrs./Ms. ______________________________ , having been admitted to ______________________________ (name of the institution), have received or downloaded a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations") carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

1) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

2) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against me in case I am found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

3) I hereby solemnly aver and undertake that

a) I will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

b) I will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

4) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, I am liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against me under any penal law or any law for the time being in force.

5) I hereby declare that I have not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging; and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, I am aware that my admission is liable to be cancelled.

6) Along with the above mentioned points I do hereby declare that

a) I will obey the code of conduct of the institute and do not indulge in any kind of in-disciplined activity while in and off the institution campus.

b. I will be solely responsible for any kind of accident/mishap caused on account of the above mentioned clause (6.a).

Declared this ___day of __________ month of ______year.

Signature of deponent
Name:______________

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at ----------------------(place) on this the -------------(day) of -----------(month) . -----------(year).

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the --------------(day) of -----------------(month) , ------------(year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

Note : It is mandatory to submit this affidavit in the above format, if you desire to register for the forthcoming academic session.

7.1.9

अनुलग्नक–I

छात्र का आश्वासन

1. मैं .... (प्रवेश/पंजकरण/नामांकन संख्या के साथ ही छात्र का पूरा नाम) सुपुत्र/सुपुत्री/........ श्री/श्रीमती/सुश्री .... जिसे .... में (संस्थान का नाम) प्रवेश दिया गया है, उसने उच्च शैक्षिक संस्थानों, में 2009, के जोखिम पर नियंत्रण संबंधी यूजीसी विनियमों की प्रति प्राप्त की है (जो इसके आगे से विनियम कहलायेंगे) तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को ध्यानपूर्वक पढ़ कर पूरी तरह से समझ लिया है।

2. मैंने, विशेष रूप से इन विनियमों की धारा 3 को ध्यानपूर्वक पढ़ा है तथा मुझे इस बात का संज्ञान है कि रैगिंग में कौन सी बातें सम्मिलिति हैं।

3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 को भी विशेष रूप से पढ़ा है तथा मैं उस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई के विषय में पूरी तरह से सचेत हूँ जो मेरे विरूद्ध लागू की जा सकती है यदि मैं रैगिंग को बढ़ावा देने के लिए दोषी पाया जाता हूँ अथवा रैगिंग को सक्रिय अथवा छिपे तौर से प्रोत्साहित करने अथवा इस विषय में षड्यन्त्र करने का दोषी पाया जाता हूँ।

4. मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि................

(क) मैं ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होऊँगा/होऊँगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना जा सकता है।

(ख) मैं ऐसे किसी आचरण अथवा अनाचरण के काम में न तो भाग लूँगा/लूँगी न ही उसके षड्यन्त्र में अथवा उसके प्रोत्साहन में शामिल होऊँगा जिस कृत्य को इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।

5. मैं, एतद्द्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि मैं दोषी पाया जाता हूँ तो इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार इनसे बिना पूर्वाग्रह के मैं दण्ड के लिए तथा ऐसी दण्डात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हूँ जो कि अन्य किसी आपराधिक मामले के प्रति किसी चालू दण्डात्मक अथवा अन्य किसी कानून के अनुसार मेरे विरूद्ध की जा सकती है।

6. मैं घोषित करता/करती हूँ कि इस देश के किसी भी संस्थान ने, मुझे रैगिंग के षड्यन्त्र में अथवा इसे प्रोत्साहित करने, इसको भड़काने में अथवा इसमें भाग लेने के मामले में दोषी पाने के लिए ना तो निष्कासित किया है ना ही प्रवेश से वंचित किया है–और मैं यह भी प्रमाणित करता/करती हूँ कि यदि की गई यह घोषणा असत्य पाई जाती है तो मुझे पूरी जानकारी है कि मेरा प्रवेश निरस्त करने का उत्तरदायित्व मुझ पर होगा।

घोषित किया गया .... दिन................ माह .... वर्ष

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई और ना ही अयथार्थ कही गई है।

सत्यापित (स्थान) .... दिन .... माह .... वर्ष................

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम:

ANNEXURE II
AFFIDAVIT BY PARENT/GUARDIAN

I, Mr./Mrs./Ms. ____ (full name of parent/guardian) father/mother/guardian of , (full name of student with University Roll Number) , having been admitted to ____________________ (name of the institution) , have received or downloaded a copy of the UGC Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009, (hereinafter called the "Regulations"), carefully read and fully understood the provisions contained in the said Regulations.

1) I have, in particular, perused clause 3 of the Regulations and am aware as to what constitutes ragging.

2) I have also, in particular, perused clause 7 and clause 9.1 of the Regulations and am fully aware of the penal and administrative action that is liable to be taken against my ward in case he/she is found guilty of or abetting ragging, actively or passively, or being part of a conspiracy to promote ragging.

3) I hereby solemnly aver and undertake that

a) My ward will not indulge in any behaviour or act that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

b) My ward will not participate in or abet or propagate through any act of commission or omission that may be constituted as ragging under clause 3 of the Regulations.

4) I hereby affirm that, if found guilty of ragging, my ward is liable for punishment according to clause 9.1 of the Regulations, without prejudice to any other criminal action that may be taken against my ward under any penal law or any law for the time being in force.

5) I hereby declare that my ward has not been expelled or debarred from admission in any institution in the country on account of being found guilty of, abetting or being part of a conspiracy to promote, ragging, and further affirm that, in case the declaration is found to be untrue, the admission of my ward is liable to be cancelled.

6) Along with the above mentioned points I do hereby declare that

a) My ward will obey the code of conduct of the institute and do not indulge in any kind of in-disciplined activity while in and off the institution campus.

b) My ward will be solely responsible for any kind of accident/mishap caused on account of the above mentioned clause (6.a).

Declared this ________________ day of _________ month of ______ year.

Signature of deponent

Name:
Address:
Telephone/ Mobile No.:

VERIFICATION

Verified that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and no part of the affidavit is false and nothing has been concealed or misstated therein.

Verified at (place) on this the (day) of (month) , (year) .

Signature of deponent

Solemnly affirmed and signed in my presence on this the __________ (day) of __________ (month) , ________ (year) after reading the contents of this affidavit.

OATH COMMISSIONER

Note: It is mandatory to submit this affidavit in the above format, if you desire to register for the forthcoming academic session.

7-1-9

माता–पिता/अभिभावक द्वारा दी गई प्रतिबद्धता

1. श्री/श्रीमती/सुश्री .... (माता–पिता/अभिभावक का पूरा नाम छात्र का पूरा नाम, उसके प्रवेश/पंजीकरण/नामांकन संख्या सहित) के पिता–माता/अभिभावक, जिसके छात्र को .... (संस्थान का नाम) में प्रवेश दिया गया है, इसने उच्च शैक्षिक संस्थानों, 2009, में रैगिंग के जोखिम पर नियन्त्रण लगाने से संबद्ध यूजीसी विनियमों (जो आगे से विनियम के नाम से कहलायेंगे) को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है तथा इन विनियमों में समाविष्ट प्रावधानों को पूरी तरह समझ लिया है।

2. मैंने, विशिष्ट रूप से इन विनियमों का अवलोकन किया है तथा मुझे इस बात की जानकारी है कि रैगिंग में क्या बात शामिल है।

3. मैंने विनियमों की धारा 7 एवं 9.1 का भी विशेष रूप से अध्ययन किया है तथा मैं पूरी तरह से जागरूक हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की अथवा रैगिंग में सहायक होने की सक्रिय अथवा छिपे तौर से दोषी पाया/पाई जाती है अथवा रैगिंग को बढ़ावा देने के षडयन्त्र का एक हिस्सा होता/होती है तो उस स्थिति में उसके विरुद्ध जिस दण्डात्मक एवं प्रशासनिक कार्रवाई का वह भागीदार होगा/होगी, वह मेरे संज्ञान में है।

4. मैं एतद्द्वारा सत्यनिष्ठ रूप से प्रमाणित करता/करती हूँ एवं आश्वासन देता/देती हूँ कि..................

(क) मेरी संतान ऐसे किसी व्यवहार अथवा कृत्य में संलिप्त नहीं होगी जिसे विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग माना गया है।

(ख) मेरी संतान जान बूझकर अथवा भूलचूक से ऐसे किसी कृत्य में न तो संलिप्त होगी अथवा न ही उसमें सहायक होगी ना ही उसे प्रोत्साहित करेगी जिसे इन विनियमों की धारा 3 के अंतर्गत रैगिंग के रूप में माना गया है।

5. एतद्द्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान रैगिंग की दोषी पाई जाती/पाया जाता है तो वह इन विनियमों की धारा 9.1 के अनुसार दण्ड की भागीदार होगा/होगी जो कि किसी भी अन्य आपराधिक कृत्य के पूर्वाग्रह के बिना होगा–तथा जो दण्ड मेरी संतान के विरूद्ध किसी भी दण्ड संबंधी कानून के अथवा वर्तमान में लागू किसी भी अन्य कानून के अनुसार होगा।

6. एतद्द्वारा मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि यदि मेरी संतान इस देश में विद्यमान किसी भी संस्थान द्वारा रैगिंग की दोषी अथवा उसमें सहायक होने कि अथवा षडयन्त्र का एक हिस्से के रूप से दोषी होने के कारण अथवा उसे प्रोत्साहित करने के दोष के कारण निष्कासित नहीं हुई है/हुआ है तथा मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि यदि यह घोषणा असत्य पाई जाती है, तो मेरी संतान को दिया गया प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।

घोषित किया गया .... दिन .... माह .... वर्ष ....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नामः

पताः

दूरभाष सं./मो. नं.:

सत्यापन

सत्यापित किया जाता है कि यह वचनबद्धता मेरे संज्ञान में सर्वांगीण रूप से सत्य है तथा इसका कोई भी अंश असत्य नहीं है तथा इसमें कथित कोई भी बात ना तो छिपाई गई है और ना ही अयथार्थ कही गई है।

सत्यापित (स्थान) .... दिन .... माह .... वर्ष ....

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नामः